न्यायालय नायब तहसीलदार सरदारशहर

पीठासीन अधिकारी श्री कमलेश सिंह महरिया RTS सरदारशहर

प्र0सं. 09/2022 अन्तर्गत भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91

सरकार **बनाम** ओमप्रकाश पुत्र मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कंवलासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।

:–निर्णय:–

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कीकासर ने रिपोर्ट पेश कर अंकित किया कि **ओमप्रकाश पुत्र मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कंवलासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू** द्वारा रोही मौजा कंवलासर के खसरा नं0 124 तादादी 3.2400 हैक्टे. गैर मुमकिन रास्ता की भूमि में से 0.24 हैक्टे. भूमि पर नाजायज रूप से पट्टी रोपकर व कांटेदार तारबंदी कर अतिक्रमण किया गया है। जिसकी पुष्टि संबंधित हल्के के भू.अ.नि. द्वारा भी की गयी।

हमने पटवारी व भू.अ.नि. की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज किया। अप्रार्थी को धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया। नोटिस की अप्रार्थी को विधिवत तामील करवाई गयी। तामील की प्रति पत्रावली के सलंग्न है। नोटिस के प्रत्युतर में अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री महावीर प्रसाद नेहरा व शिवलाल गोदारा ने वकालतनामा पेश किया व जवाब हेतु समय चाहा। अप्रार्थी अधिवक्तागण को न्यायहित में जवाब हेतु एक से अधिक अवसर प्रदान किये गये और अप्रार्थी अधिवक्तागण ने दिनांक 18.08.2022 को जवाब नोटिस प्रस्तुत किया शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित किया कि अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण कर कोई रास्ता अवरूद्व नहीं किया गया है। अप्रार्थी के विरूद्व जारी किया गया नोटिस गया नोटिस गलत व सारहीन है क्योंकि अप्रार्थी का ख.न. 124 की भूमि पर कोई अतिक्रमण है। उक्त कटाणी रास्ता अप्रार्थी के खेत के सींव–सींव गुजरता है जिस पर ग्रेवल सड़क का निर्माण भी किया हुआ है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व जारी किया गया नोटिस खारिज किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने जवाब में यह अंकित किया है कि अप्रार्थी को कोई अतिकण कर रास्ता अवरूद्व नहीं किया गया है लेकिन अतिक्रमण के संबंध में हल्का पटवारी ने रिपोर्ट पूर्ण जांच कर व सही नाप कर ही की है। जिससे अप्रार्थी अधिवक्ता का प्रथम दृष्टया ही जवाब सारहीन प्रतीत

Signature Not Verified

Digitally signed by Kamalesh Singh Maharia
Date: 2022.12.14 16:38:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

...है जो अप्रार्थी अधिवक्ता ने सिर्फ न्यायालय का समय जाया करने व न्यायालय को गुमराह करने के लिए प्रस्तुत किया है।

पटवारी हल्का की रिपोर्ट और अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत सारहीन जवाब से यह स्वतः सिद्ध होता है कि अप्रार्थी ने खसरा नं. 124 तादादी 3.24 हैक्टे गै.मु.रास्ते की भूमि में से 0.24 हैक्टे भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है जिसका अप्रार्थी को कोई विधिक अधिकार नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कटाणी रास्ते को अवरूद्ध कर देना न्यायोचित नहीं है जिसके फलस्वरूप अप्रार्थी के विरूद्ध नियमानुसार कठोरतम निर्णय पारित किया जाना उचित है जिससे भविष्य में कोई खातेदार कटाणी रास्ते को दूसरी जगह परिवर्तित न कर पाये।

हमने पत्रावली का अद्योपांत अध्ययन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट, भू.अ.नि. की जांच रिपोर्ट का सूक्ष्मता से अध्ययन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी का रोही मौजा कंवलासर के ख.नं. 124 तादादी 3.24 हैक्टे. गैर मुमकिन रास्ता की भूमि में से 0.24 हैक्टे. भूमि पर अनाधिकृत कब्जा है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर न्याय हित में अप्रार्थी के विरूद्ध नियमानुसार कठोरतम कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत है जिससे भविष्य में कोई अतिकमी राजकीय भूमि पर अतिचार न कर सके।

अतः अप्रार्थी को अतिकमी घोषित किया जाकर अप्रार्थी पर आरोपित दोष सिद्ध होना पाये जाने पर अप्रार्थी को भू.राजस्व का 50 गुणा अर्थात् 100 रू. तावान के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। हल्का पटवारी तावान राशि कायम कर अप्रार्थी से वसूल कर राजकोष में जमा करवायें। भू.अ.नि. वृत रंगाईसर को आदेशित किया जाता है कि अतिकमी को मौके से बेदखल कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करे।

पत्रावली निर्णय में शुमार की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भेजी जावें। निर्णय आज दिनांक 29.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

(कमलेश सिंह महरिया)
तहसीलदार
सरदारशहर

ग्रा.ले.सं. 4 (मिवायचक/गोचर)
वर्ष 22-23 के पृष्ठ सं. 220
कायम की गई
पर राशि रू. 100 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Kamalesh Singh Maharia
Date: 2022.12.14 16:38:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner